

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र का नमूना

किसी कंपनी द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने /जारी रखने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र का फार्म

कंपनी का नाम एवं -----

पंजीकृत कार्यालय का पता(अंग्रेजी क बड़े अक्षरों में)-----

पंजीकृत-पावती सहित/दस्ती

सेवा में,

महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक

पर्यवेक्षण विभाग(वित्तीय कंपनी विंग)

(अब गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग)

भारतीय रिज़र्व बैंक

-----क्षेत्रीय कार्यालय

(स्थान का नाम लिखें)

प्रिय महोदय/महोदया,

गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने /जारी

रखने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

हम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक की उपधारा (2) के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन करते हैं। अनुदेशानुसार अपेक्षित दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत है।

हम गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने /जारी रखने* के इच्छुक हैं। अस्तु हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक की उपधारा (1) के अंतर्गत आवश्यक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि हमारी कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ कर सके/जारी* रख सके।

हम घोषित करते हैं कि हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार संलग्नक विवरणों/अनुबंधों में दी गई सूचना सत्य/सही एवं पूर्ण है।

		भवदीय
		हस्ताक्षर
दिनांक		नाम
स्थान		पदनाम
		कंपनी की मुहर

संलग्नक:-----पन्ने

*जो लागू न हो उसे काट दें।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनुलग्न किए जाएं:

1. पहचान संबंधी ब्योरा (अनुबंध-I)।
2. विवेकपूर्ण मानदण्डों संबंधी विवरण (अनुबंध II)।
3. प्रबंधन संबंधी सूचना (अनुबंध III)।
4. कंपनी के ज्ञापन और अंतर्नियमों की अद्यतन प्रमाणित प्रतियाँ।
5. कंपनी के गठन के प्रमाणपत्र एवं कारोबार प्रारंभ करने के प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतियाँ।
6. निदेशक बोर्ड का संकल्प जिसमें आवेदन करने एवं तत्संबंधी सामग्री के प्रस्तुतीकरण हेतु खास तौर पर मंजूरी दी गयी हो।
7. कंपनियों (जो पहले से अस्तित्व में हैं) की गत 3 वर्षों या जिस अवधि के लाभ-हानि लेखे एवं लेखापरीक्षित तुलन पत्र उपलब्ध हों उनकी एक-एक प्रति।
8. आगामी 3 वर्षों के लिए कंपनी के कारोबार की योजना जिसमें (क) कारोबार जिस पर जोर दिया जाएगा, (ख) बाजार घटक(सेगमेंट), और (ग) निवेश तथा आय प्रक्षेपण का ब्योरा दिया गया हो।
9. 9 जनवरी 1997 से पूर्व गठित कंपनी जिसकी निवल स्वाधिकृत निधियाँ आवेदन करने की तारीख को 25 लाख रुपए से कम हैं, वह एक समयबद्ध कार्य-योजना पेश करे जिसमें 25 लाख रुपए की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियाँ प्राप्त करने के प्रस्ताव का औचित्य दिया गया हो।

अनुदेश

(कृपया आवेदन पत्र को निम्नलिखित अनुदेशों के अनुसार ही भरें)

सामान्य

- (1)केवल निर्धारित फार्म में ही आवेदन किए जाएं। जहाँ स्थान की कमी हो वहाँ उसे अलग से (अतिरिक्त पन्ने में) संलग्न किया जाए।
- (2)आवेदन पत्र संलग्नकों सहित, जो सम्यक रूप से पूर्ण हों, दो प्रतियों में 8 जुलाई 1997 से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक, पर्यवेक्षण विभाग (वित्तीय कंपनी विंग)/अब गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएं जिसके अधिकारक्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।
- (3)प्रस्तुत किए गए आवेदनपत्र की फोटोकापी कंपनी अभिलेख के लिए अपने पास रखे।
- (4)निदेशक बोर्ड द्वारा इस संबंध में अधिकृत किए गए अग्रलिखित अधिकारियों (अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कंपनी सचिव, पूर्णकालिक निदेशक या अन्य अधिकारी)में से किसी एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- (5)आवेदन पत्र पर कंपनी सामान्य मुहर(common seal) लगी होनी चाहिए।
- (6)आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पावती संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जाए।

(7) आवेदन पत्र के अनुबंध II के ब्योरे/की सूचना अंतिम लेखापरीक्षित वार्षिक तुलनपत्र में प्रकट किए गए आंकड़ों पर आधारित होने चाहिए/होनी चाहिए। तथापि, अगर कोई कंपनी 9 जनवरी 1997 के बाद गठित हुई हो तो ये ब्योरे/यह सूचना कंपनी के उस तुलन पत्र पर आधारित होने चाहिए/होनी चाहिए जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से 30 दिन के भीतर का हो।

अनुबंध I

- (8) यदि कंपनी ने अपने नाम में पहले बदलाव किए हों तो पहले बदले गए सभी नामों, नाम बदलने की तारीखों एवं ऐसे बदलाव के समय रहे मुख्य कार्यपालक अधिकारियों एवं अध्यक्षों के नाम सहित सूची संलग्न की जाए।
- (9) यदि कंपनी 12 अप्रैल 1993 के परिपत्र सं. डीएफसी(सीओसी) सं. 828/174-92/93 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास पहले से पंजीकृत थी तो पंजीकरण की सूचना देने वाले मूल पत्र को संलग्न किया जाए।
- (10) यदि कंपनी ने जमाराशियों की अदायगी एवं ब्याज के समय पर भुगतान में कभी चूक की हो तो ऐसे सभी लंबित मामलों की सूची एवं प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई की सूची संलग्न की जाए। कंपनी न्यायलयों में अपने खिलाफ लंबित सभी मुकदमों की सूची संलग्न करे जिसमें जमाराशियाँ स्वीकारने की उसकी गतिविधियों से संबंधित उपभोक्ता मंचों में लंबित मामले भी शामिल हों।

अनुबंध II

- (11) यह विवरण केवल उस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा भरा जाए जो 1 जनवरी 1997 को अस्तित्व में थी एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कार्य करती थी।
- (12) अनुबंध II भरने के लिए कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 'आय निर्धारण, लेखांकन मानक, परिसंपत्तियों के वर्गीकरण, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधानीकरण, पूंजी पर्याप्तता, क्रेडिट/निवेश संकेंद्रन, आदि से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्डों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों का अवलोकन करें हैं।
- (13) अनुबंध II की विषयवस्तु (आंकड़े) सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

अनुबंध III

- (14) "पर्याप्त हित" का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों/फर्म की पूंजी में लाभभोगी हित धारिता जिस पर अदा की गई रकम कंपनी की चुकता पूंजी अथवा भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है।

पहचान संबंधी ब्योरा

कंपनी कोड
(भारिबैं द्वारा भरा जाएगा)

1.1 कंपनी का नाम;-----

1.2 क्या कंपनी ने अपना नाम पहले बदला है?

[कृपया अनुदेशों का क्रमांक 8 देखें]	हाँ /नहीं
-------------------------------------	-----------

2. कंपनी के गठन की तारीख
3. कारोबार प्रारंभ करने की तारीख
4. राज्य का नाम जिसमें कंपनी पंजीकृत है
5. कंपनी का पूरा पता

(i) पंजीकृत कार्यालय-----

फोन नं.-----फैक्स नं.-----
ई-मेल-----

(ii) कारपोरेट/प्रशासनिक* कार्यालय-----

फोन नं.-----फैक्स नं.-----

(iii) शाखाओं की संख्या:

6.	स्टेटस/दर्जा	(क) पब्लिक	(ख) प्रायवेट	(ग) प्रायवेट मानी गयी
		(घ) सरकारी कंपनी	(ङ) अन्य(उल्लेख करें)	

7. क्या कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार 9 जनवरी 1997 को कर रही थी?	हाँ/नहीं
--	----------

यदि हाँ तो-

- (i) ऐसा कारोबार प्रारंभ करने की तारीख-----
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया वर्गीकरण-----
(EL/HP/LC/Nidhi/RNBC/MNBC)
- (iii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्गीकरण की सूचना देने वाले पत्र की तारीख एवं संख्या-----

(iv) क्या कंपनी पहले से भारिबैं के पास पंजीकृत थी?	हाँ/नहीं
--	----------

(कृपया अनुदेशों की मद सं. (9) देखें।

यदि हाँ ! तो

(क) पंजीकरण सं. -----

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचना देने वाले पत्र की तारीख एवं संख्या

(v) 24 जुलाई 1996 के परिपत्र सं. डीएफसी.(सीओसी) 2/02/04/96-97 के अनुसार क्या कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है?	हाँ/नहीं
--	----------

यदि हाँ ! तो

(क) प्रमाणपत्र सं. -----

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचना देने वाले पत्र की तारीख एवं संख्या

(vi) क्या कंपनी ने मूलधन की अदायगी या ब्याज के भुगतान में कभी चूक की है?	हाँ/नहीं
(कृपया अनुदेशों की मद सं. (10) देखें।	

(vii) (क) क्या ग्रुप की कोई कंपनी अन्य विनियामक यथा सेबी, इर्डा, आदि द्वारा विनियमित है? (ख) यदि हाँ! तो कंपनी के ब्योरे दीजिए: (i) नाम (ii) पता (iii) कारोबार का स्वरूप (iv) विनियामक (v) मंजूरी/प्रमाणपत्र/पंजीकरण सं. (ग) क्या कंपनी के विरुद्ध विनियामक द्वारा कोई कार्रवाई प्रारंभ की गई है/लंबित है, यदि हाँ तो ब्योरे दीजिए (निंदा, दण्ड न्यायनिर्णयन, जांच-पड़ताल, आदि)	हाँ/नहीं
--	----------

8. सांविधिक लेखापरीक्षक का नाम एवं पता/कों के नाम एवं पते	

9.1 बैंकों के नाम एवं पते

9.2 क्या कंपनी ने किसी बैंक से लिए गए ऋण, अग्रिम या ली गई किसी अन्य क्रेडिट सुविधा की अदायगी/का भुगतान करने में कोई चूक की है?	हाँ/नहीं
--	----------

9.3 यदि हाँ! तो पूरे ब्योरे दीजिए यथा बैंक का नाम/शाखा का नाम /ली गई सुविधा का स्वरूप, अवधि तथा चूक गत राशि, आदि का ब्योरा दीजिए।

10. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पदनाम:-----

		हस्ताक्षर	
दिनांक		नाम	
स्थान		पदनाम	
		कंपनी की मुहर	

-----* को पूंजी-निधियों एवं जोखिम वाली परिसंपत्तियों का विवरण
(तारीख)

(हजार रुपए में)

भाग -क

पूंजी-निधियाँ- टियर-I

मद का नाम	मद कोड	राशि(रु.)
(i) चुकता ईक्विटी पूंजी	111	
(ii) मुक्त आरक्षित निधियां (कृपया निम्नांकित नोट देखें)		
(क) सामान्य आरक्षित निधि	112	
(ख) शेयर प्रीमियम	113	
(ग) पूंजीगत आरक्षित निधि (अलग खाते में रखी परिसंपत्ति के विक्रय पर अधिशेष को दर्शाते हों)	114	
(घ) डिबेंचर शोधन आरक्षित निधि	115	
(ङ) पूंजीगत शोधन आरक्षित निधि	116	
(च) लाभ और हानि खाते में जमा शेष	117	
(छ) अन्य मुक्त आरक्षित निधि (विनिर्दिष्ट की जाएं)	118	
(iii) कुल(111 से 118)	110	
(iv) हानि का संचित शेष	121	
(v) आस्थगित राजस्व व्यय	122	
(vi) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	123	
(vii) कुल (121 से 123)	120	
(viii) स्वाधिकृत निधि (110-120)	130	

नोट:"मुक्त आरक्षित निधियों" में शेयर प्रीमियम खाते, पूंजी और डिबेंचर शोधन आरक्षित निधि एवं तुलनपत्र में दर्शायी गई कोई अन्य आरक्षित निधि शामिल होगी जो लाभ के विनियोजन से निर्मित की गई हो किन्तु उसमें (क) भावी देनदारियों की अदागयी या परिसंपत्तियों के मूल्य हास या अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए निर्मित आरक्षित निधियाँ या (ख) कंपनी की परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यन से निर्मित आरक्षित निधियाँ शामिल नहीं होंगी।

मद का नाम	मद कोड	राशि(रु.)
(ix) निम्नलिखित के शेयरों में निवेश		
(क) सहायक कंपनियां	141	
(ख) उसी समूह की कंपनियां	142	
(ग) अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	143	
(x) डिबेंचरों, बांडों, बकाया ऋण और अग्रिमों (किराया खरीद तथा पट्टा वित्त सहित) के बही-मूल्य और निम्नलिखित के पास रखी जमाराशियां [कृपया नीचे अंकित नोट (2) देखें]		
(क) सहायक कंपनियां	144	
(ख) उसी समूह की कंपनियां	145	
(xi) कुल (141 से 145)	140	

(xii) मद 140 की राशि जो उपर्युक्त मद 130 के 10% से अधिक है	150	
(xiii) टियर - I पूंजी		
निवल स्वाधिकृत निधि (130-150)	151	

नोट:

1. पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचर और / या अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचरों का परिवर्तनीय अंश *शेयरों में निवेश* की मद में शामिल होगा। निवेश खाते या स्टॉक इन ट्रेड गत निवेश को इस मद में शामिल किया जाएगा।
2. निवेश खाते में या स्टॉक इन ट्रेड की मार्फत रखे डिबेंचरों को इस मद में शामिल किया जाए। अपरिवर्तनीय डिबेंचर, अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचरों का अपरिवर्तनीय अंश एवं विकल्पतः परिवर्तनीय डिबेंचर भी इस मद में शामिल किए जाएंगे।

भाग - ख

पूँजीगत निधि - टियर II

मद का नाम	मद कोड	राशि(रु.)
(i) अधिमानी शेयर पूँजी	161	
(ii) पूनर्मूल्यन आरक्षित निधि (मार्गदर्शी सिद्धांतों का पैरा 5.2-2 देखें)	162	
(iii) सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि (मार्गदर्शी सिद्धांतों का पैरा 5.2-3 देखें)	163	
(iv) संमिश्र ऋण पूँजी लिखत (मार्गदर्शी सिद्धांतों का पैरा 5.2-4 देखें)	164	
(v) गौण ऋण (मार्गदर्शी सिद्धांतों का पैरा 5.2-5 देखें)	165	
(vi) कुल टियर-II पूँजी (मद 161 से 165) (मार्गदर्शी सिद्धांतों का पैरा 5.2-2 देखें)	160	
कुल पूँजी निधि (151 + 160)	170	

भाग -ग

जोखिम परिसंपत्ति और तुलन पत्र से इतर (ऑफ बैलेंस शीट) मदें

मद का नाम	मद कोड	राशि
(i) निधिक जोखिम परिसंपत्तियों का समायोजित मूल्य अर्थात् तुलन पत्र की (आन-बैलेंस शीट) मदें (भाग घ से मिलना चाहिए)	181	
(ii) अनिधिक और तुलन पत्र से परे मदों का समायोजित मूल्य (भाग ङ से मिलना चाहिए)	182	
(iii) जोखिम भारत कुल परिसंपत्तियां/ एक्सपोजर (181 + 182)	180	
(iv) जोखिम भारत कुल परिसंपत्तियों/ एक्सपोजरो की तुलना में पूंजीगत निधियों का प्रतिशत		
(क) टियर -I पूंजी (मद 151 से मद 180 का प्रतिशत)	191	
(ख) टियर -II (मद 160 से मद 180 का प्रतिशत)	192	
(ग) कुल (मद 170 का मद 180 से प्रतिशत)	193	

भाग -घ

भारित परिसंपत्तियां अर्थात् तुलन पत्र की मदें

मद का नाम	मद कोड	बही मूल्य	जोखिम भार	समायोजित मूल्य
I. सावधि जमा तथा जमा प्रमाणपत्रों सहित नकदी और बैंक शेष	210		0	0
II. निवेश (मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा 2.6-1 से 2.6-7 देखें)				
(क) सरकारी एवं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित अनुमोदित प्रतिभूतियां	221		0	0
(ख) शेयर/डिबेंचर/बांड/मुचुअल फंड की यूनितें				
(i) भाग 'क' [मद (ix)] में काटी गई राशि	222		0	0
(ii) भाग 'क' [मद (ix)] में न काटी गई राशि	223		100	
III. चालू परिसंपत्तियां				
(क) किराए पर स्टॉक (कृपया नीचे का नोट 3 देखें)				
(i) भाग 'क' [मद (x)] में काटी गई राशि	231		0	0
(ii) भाग 'क' में न काटी गई राशि	232		100	0
(ख) अंतर-कंपनी ऋण/जमाराशि				
(i) भाग 'क' [मद (x)] में काटी गई राशि	233		0	0
(ii) भाग 'क' में न काटी गई राशि	234		100	
(ग) कंपनी की अपनी जमाराशि से पूर्णतः रक्षित ऋण और अग्रिम	235		0	0
(घ) स्टाफ को ऋण	236		0	0
(ङ) अन्य जमानती ऋण और अग्रिम जो अच्छे माने गए				

(i) भाग 'क' [मद (x)] में काटी गई राशि	241		0	0
(ii) भाग 'क' में न काटी गई राशि	242		100	
(च) खरीदे/भुनाए गए बिल				
(i) भाग 'क' [मद (x)] में काटी गई राशि	243		0	0
(ii) भाग 'क' में न काटी गई राशि	244		100	
(छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	245		100	
IV. अचल परिसंपत्ति (मूल्यहास को घटाकर)				
(क) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां				
(i) भाग क [मद (x)] में काटी गई राशि	251		0	0
(ii) भाग 'क' में न काटी गई राशि	252		100	
(ख) परिसर	253		100	
(ग) फर्नीचर और फिक्सचर	254		100	
V. अन्य परिसंपत्तियां				
(क) स्रोत पर काटा गया आयकर (प्रावधानों को घटाकर)	255		0	0
(ख) अग्रिम चुकाया गया कर (प्रावधानों को घटाकर)	256		0	0
(ग) सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्य ब्याज	257		0	0
(घ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	258		100	
भारित कुल परिसंपत्तियां (मद 210 से 258)	200			

नोट :

1. उन परिसंपत्तियों का निवलीकरण किया जाए जिनमें मूल्यहास या अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किये गये हैं।
2. असूचीबद्ध (अनकोटेड) शेयरों को लागत या शेयरों [संबंधित कंपनी के अंतिम (last) लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार] के अलग-अलग मूल्य(ब्रेक-अप मूल्य) में से जो भी कम हो के आधार आंका जाए।
3. वित्तीय प्रभारों अर्थात ब्याज तथा वसूली योग्य अन्य प्रभारों को घटाकर किराए पर स्टाकों को दर्शाया जाए।
4. निवल स्वाधिकृत निधि की गणना के लिए जिन परिसंपत्तियों को स्वाधिकृत निधि से, मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैराग्राफ 5.1 के अनुसरण में, घटाया गया है उन पर भार "शून्य" होगा।

भाग- ड

भारित अनिधिक(non-funded) एक्सपोजर/तुलन पत्र से इतर मदें

मद का नाम	मद कोड	बही मूल्य	परिवर्तन कारक	समतुल्य मूल्य	जोखिम भार	समायोजित मूल्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. वित्तीय और अन्य गारंटियां	310	-	100	-	100	-
2. शेयर/डिबेंचर हामीदारी दायित्व	320	-	50	-	100	-
3. आंशिक रूप से चुकता शेयर/ डिबेंचर	330	-	100	-	100	-
4. भुनाए/ पुनर्भुनाए गए बिल	340	-	100	-	100	-
5. पट्टेदारी संविदा कर तो लिए गए हैं पर निष्पादिन होना बाकी है	350	-	100	-	100	-
6. अन्य आकस्मिक देयताएं (निर्दिष्ट करें)	360	-	50	-	100	-
कुल अनिधिक एक्सपोजर (मद 310 से 360)	300	-	-	-	-	-

नोट : परिवर्तन कारक लगाने के पहले नकदी मार्जिन/जमाराशियां काट(deducted) ली जाएंगी।

भाग - च

अन्य आंकड़े

I. निम्नलिखित में वर्गीकृत ऋण जोखिमों का सकल योग:

मद का नाम	मद कोड	राशि
(i) मानक परिसंपत्तियाँ	411	
(ii) <u>अवमानक परिसंपत्तियाँ</u>	412	
(iii) संदिग्ध परिसंपत्तियाँ	413	
(iv) हानि परिसंपत्तियाँ	414	

II. विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उपर्युक्त I के संबंध में समग्र प्रावधान

मद का नाम	मद कोड	अपेक्षित प्रावधान	किए गए वास्तविक प्रावधान
(i) अवमानक परिसंपत्तियाँ (कुल बकाया का 10 प्रतिशत)	421		
(ii) संदिग्ध परिसंपत्तियाँ(प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य द्वारा पूर्ति नहीं हुई सीमा तक 100 प्रतिशत और परिसंपत्ति संदिग्ध रही अवधि तक जमानती भाग का 20 से 50 प्रतिशत।)	422		
मार्गदर्शी सिद्धांतों का पैरा 4 देखें।			
(iii) हानिवाली परिसंपत्तियाँ (बकाया शेष राशि का 100%)	423		

III. निम्नलिखित के संबंध में अन्य प्रावधान

मद का नाम	मद कोड	अपेक्षित प्रावधान	किए गए वास्तविक प्रावधान
(i) अचल परिसंपत्तियों में मूल्यहास	431		
(ii) निवेश में मूल्यहास	432		
(iii) हानिगत/अमूर्त परिसंपत्तियां	433		
(iv) कराधान हेतु प्रावधान	434		
(v) उपदान/भविष्य निधि	435		
(vi) अन्य (निर्दिष्ट करें)	436		

भाग -छ

**उसी समूह की कंपनियों/फर्मों और अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों
में निवेश और उन्हें प्रदत्त अग्रिमों से संबंधित ब्योरे**

मद का नाम	मद कोड	राशि
1.	2.	3.
(i) सहायक कंपनियों और उसी समूह की कंपनियों को दिये गये ऋण और अग्रिमों की बकाया और उनके पास रखी गई जमाराशियाँ (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए जाएं।	510	
(ii) सहायक कंपनियों, उसी समूह की कंपनियों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के शेयरों में निवेश (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	520	
(iii) अन्य कंपनियों, फर्मों और उन स्वामित्व प्रतिष्ठानों में, जिनमें कंपनी के निदेशकों के पर्याप्त हित शामिल हों, शेयरों, डिबेंचरों, ऋणों और अग्रिमों, पट्टा, किराया खरीद वित्त पोषण, जमाराशि, आदि के रूप में किये गये निवेश (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	530	

भाग - ज

उपर्युक्त भाग 'छ' की पार्टियों से इतर पार्टियों को (तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर और निवेशों सहित) दिए गए अग्रिमों के संकेंद्रन से संबंधित ब्योरे

मद का नाम	मद कोड	राशि
(i) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक किसी एक पार्टी को तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर सहित दिए गए ऋण और अग्रिम (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	610	
(ii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक, पार्टियों के किसी एक समूह को तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर सहित दिए गए ऋण और अग्रिम (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	620	
(iii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक, अन्य कंपनियों में किये गये निवेश (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	630	

प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरण में आय निर्धारण, लेखा मानक, परिसंपत्ति वर्गीकरण, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, पूंजी पर्याप्तता और ऋण तथा निवेश के संकेंद्रण के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही आंकड़े/सूचना दी गई है। कंपनी के बही खातों तथा अन्य अभिलेखों से ही विवरण का संकलन किया गया है और मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार ये सही हैं।

कंपनी के लिए तथा कंपनी की ओर से

	कंपनी का नाम	
	हस्ताक्षर	
तारीख:	नाम	
	पदनाम	
स्थान:	कंपनी की मुहर	

लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

-----200- की स्थिति के अनुसार पूंजीगत निधियों, जोखिम परिसंपत्तियों/ एक्सपोजर और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात, आदि के संबंध में ----- लिमिटेड द्वारा रखे गए बही खातों और अन्य अभिलेखों की हमने जांच की है और हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई सूचना, हमें दिए गए स्पष्टीकरण, हमें दिखाए गए अभिलेखों की हमारे द्वारा की गयी जांच के अनुसार उपर्युक्त विवरण के भाग क, ख, ग, घ, ङ, च, छ और ज में दर्शाए गए आंकड़े सही हैं।

स्थान :

दिनांक :

सनदी लेखाकार

**कंपनी के प्रवर्तकों, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशकों
एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के संबंध में सूचना
(कृपया पृष्ठ 2 पर अंकित नोट देखें)**

1.	नाम	
2.	पदनाम	अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी *
3.	राष्ट्रीयता	
4.	उम्र	
5.	कारोबारी पता	
6.	निवास-पता	
7.	शैक्षिक/प्रोफेशनल अर्हता	
8.	कारोबार का स्वरूप या व्यवसाय	
9.	उस कंपनी का/उन कंपनियों के नाम जिसमें अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद धारण किया।	
10.	(i) क्या अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी सहित किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में प्रवर्तक, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष या निदेशक के रूप में जुड़ाव था, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमाराशियाँ स्वीकारने से प्रतिषिद्ध किया गया था/अभियोजित किया गया था?	हाँ/नहीं
	(ii) यदि हाँ ! तो उस कंपनी का नाम/उन कंपनियों के नाम दें।	
11.	(i) क्या एक व्यक्ति के रूप में या किसी फर्म/कंपनी के भागीदार/निदेशक के रूप में आर्थिक अपराध के लिए अभियोजित किए गए/दोषी पाए गए हैं?	हाँ/नहीं
	(ii) यदि हाँ ! तो उसके ब्योरे दें।	
12.	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कारोबार का (कितने वर्ष का) अनुभव है।	
13.	कंपनी में ईक्विटी शेयर-होल्डिंग	
	शेयरों की संख्या	
	अंकित मूल्य	रु.
	कंपनी की कुल ईक्विटी शेयर पूंजी के कितने प्रतिशत है।	

14.	उन कंपनियों/फर्मों एवं स्वामित्व प्रष्ठानों के नाम जिनमें इस व्यक्ति के पर्याप्त हित हैं। (कृपया अनुदेशों की मद सं. 14 देखें)	
15.	मद 14 में दिए गए प्रतिष्ठानों के प्रधान बैंकरों के नाम	
		हस्ताक्षर
	तारीख	पदनाम
	स्थान	(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)
		कंपनी की मुहर

नोट: ऐसे प्रत्येक कार्मिक के संबंध में अलग-अलग जानकारी दी जाए तथा इसके लिए इस फार्मेर्ट की फोटोकपी का प्रयोग किया जाए ।
